दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 26 जून 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-264

लोकतांत्रिक नीति ने सत्तावादी मानसिकता को पराजित किया:मोदी

» आपातकाल की 44वीं सालगिरह पर बोले पीएम

नईदिल्ली (आरएनएस)। आपातकाल की 44वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को निडरता होकर इसका विरोध करने वाले सभी लोगों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक नीति ने सत्तावादी मानसिकता को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया। आपातकाल को 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच के समय को कहा जाता है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह एक ऐसी राजनीतिक स्थिति बन गई थी जिसमें चुनाव स्थगित हो और नागरिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण हो। गांधी ने आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव दिया, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद मंत्रिमंडल और उसके साथ-साथ संसद में भी इस स्पष्टीकरण पर पारित कर दिया गया कि देश बाहरी और आंतरिक खतरों से गुजर रहा है। आरएनएस के अनुसार मोदी ने 90 सेकेंड के एक वीडियो के साथ एक ट्वीट में कहा, भारत उन सभी महान लोगों को सलाम करता है जिन्होंने निडर होकर बेबाकी से आपातकाल का विरोध किया। भारत की लोकतांत्रिक नीति ने सत्तावादी मानसिकता को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया। वीडियो में समाचार पत्रों से न्यायिक तंत्र तक के आपातकाल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताते हुए इसे ऐसा काला अध्याय बताया गया है जिसने लोकतंत्र को रौंद डाला था। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा, आपातकाल के दौरान, कई शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया। गोपनीय सूचनाएं देने पर जेल से निकाला जाता था।

विदेशों में भी कर सकेगी आतंकी मामलों की जांच

» एनआईए की ताकत में इजाफा

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझा जाता है कि देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में एनआईए को और मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने सोमवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून को संशोधित करने के लिए आगामी दिनों में संसद में अलग-अलग विधेयक लाए जाएंगे।

प्रस्ताव से अवगत सूत्रों ने बताया कि संशोधन से एनआईए साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच कर पाएगी। यूएपीए की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध लोगों को आतंकी घोषित कर पाएगी। अभी केवल संगठनों को 'आतंकी संगठन' घोषित किए जाते हैं। मुंबई में आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआईए की स्थापना की गयी थी।

हमले में 166 लोगों की मौत हो गयी थी। सूत्रों ने कहा कि 2017 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नयी चुनौतियों से मुकाबला के वास्ते एनआईए को और शक्तिशाली बनाने के लिए दो कानूनों पर विचार कर रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रदान करने से जुड़ा विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को सोमवार को नहीं लाया सका। इसी तरह का एक विधेयक पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के भंग होने के बाद निरस्त हो गया था।

महत्वपूर्ण एवं खास

सैनी के निधन के बाद भाजपा की संसदीय दल की बैठक रद्द

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रस्तावित अपनी संसदीय दल की बैठक राज्य सभा सांसद और पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद रद्द कर दी गई है। एक भाजपा नेता ने यह जानकारी दी। नाम गोपनीय रखने का अनुरोध करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक मंगलवार सुबह 9.30 होने वाली थी। लोकसभा चुनावों के बाद यह भाजपा के सभी सांसदों की पहली बैठक होती। फेफड़ों में संक्रमण के बाद पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती हुए सैनी का सोमवार को निधन हो गया था। वे 75 वर्ष के थे।

आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न न होने देने का संकल्प लें: केजरीवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों से देश में आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न होने देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''आज ही के दिन 44 वर्ष पहले भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र पर किए सबसे बड़े हमले का साक्षी बना था. आएं हम इस महान लोकतंत्र के संविधान पर दोबारा ऐसा हमला ना होने देने का संकल्प लें. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाया था, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था.

कराची में पुलिस ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में पुलिस ने अल कायदा के तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। स्थानीय मीडिया ने सोमवार रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इरफान अली बहादुर के हवाले से यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट में बताया कि पुलिस तथा खुफिया विभाग के संयुक्त अभियान के दौरान कराची के खुदा बक्स गोथ क्षेत्र में अल कायदा के तीन आतंकवादी मारे गये हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहादुर ने बताया कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए रविवार रात एक घर पर पुलिस ने छापा मारा, तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आतंकवादियों के पास से एक आत्मघाती जैकेट, 10 किलोग्राम 'बॉल बीयरिंग', विस्फोटक पदार्थो, 'सब मशीन गन्स', सैकड़ों जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल, हथगोले, 'रिमोट कंट्रोल सर्किट' और 'डेटोनेटर्स' के साथ-साथ विस्फोट तारों और सुरक्षा फ्यूज तार बरामद किये हैं।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गुरुवार से 2 दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर

इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दो दिवसीय पाकिस्तान दौरे के तहत गुरुवार को यहां पहुंचेंगे। मीडिया ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान की दुनिया न्यूज के अनुसार, गनी इस दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने कहा कि गनी शुक्रवार को लाहौर भी जाएंगे और मुगल कालीन बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। यह दौरा सऊदी अरब में आयोजित हुए इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की बैठक के इतर गनी और खान की मुलाकात के बाद तय हुआ। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और अफगान शांति प्रक्रिया पर चर्चा की थी। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौरान खान ने शांत और स्थिर अफगानिस्तान की दिशा में पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इमरान ने युद्ध पीड़ित पड़ोसी देश में राजनीतिक समझौते के लिए अफगान की अगुआई में और अफगान की शांति प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान के दृढ़ समर्थन पर भी जोर दिया था।

जर्मनी में 2 यूरोफाइटर विमान भिड़े, पायलट की मौत

बर्लिन। उत्तरी जर्मनी में सोमवार को दो यूरोफाइटर विमान हवा में ही आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई। जर्मनी की वायु सेना ने यह जानकारी दी। वायु सेना के टीम लुफ्तवेफ ने ट्विटर पर बताया कि हथियार रहित युद्धक विमान एयर कॉम्बेट मिशन के दौरान मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमर्न प्रांत में लागे सैन्य शिविर के पास आपस में टकरा गए। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, वायु सेना ने बाद में ट्वीट किया कि एक पायलट मृत पाया गया जबकि हादसे के दौरान विमान से सही-सलामत रूप से निकले दूसरे पायलट का इलाज आपातकालीन सेवाएं कर रही हैं।

स्थानीय पुलिस ने एक बयान में कहा कि बचने वाला पायलट एक पेड़ की झाड़ में जमीन से 66 फीट ऊपर फंस गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सिल्ज और जेबल में झील के ऊपर दो पैराशूट देखे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि तीसरा यूरोफाइटर मिशन पर था और उसके पायलट ने घटनास्थल पर दो पैराशूट होने की बात कही।

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोनों सीटों पर अलग-अलग ही होंगे चुनाव

» गुजरात राज्यसभा उपचुनाव

नईदिल्ली (आरएनएस)। गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की दो सीटों पर अलग से चुनाव कराने संबंधी कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस को अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली की गई सीटों को भरने के लिए कराए जा रहे चुनावों के बाद 'चुनाव याचिका' दायर करने की अनुमति दी. कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी ने गुजरात की राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के खिलाफ याचिका दायर की थी. चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं.

हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें 'अलग-अलग रिक्तियां' माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी तथा चुनाव भी अलग-अलग होंगे. हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार में राज्यसभा से लोकसभा के सदस्य बने अमित शाह गृह मंत्रालय और स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया है.आरएनएस के अनुसार गुजरात की दो राज्यसभा सीटों पर होने जा रहे चुनाव को गुजरात कांग्रेस ने असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गुजरात कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दबाव में काम कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद गुजरात में राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई हैं. अगर इन दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव होते तो एक सीट कांग्रेस को जा सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव घोषित किए हैं.

आईएस से जुड़े बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 4 सदस्य गिरफ्तार

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एसटीएफ ने बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन नियो-जमियतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश/इस्लामिक स्टेट के चार संदिग्ध आतंकवादियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन बांग्लादेश मूल के हैं तो वहीं एक भारतीय है। साथ ही ये सभी बांग्लादेश के जमात-उद-दावा से भी संबंध रखते हैं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सीलदा रेलवे स्टेशन की पार्किंग से गिरफ्तार किया।

कोलकाता पुलिस चारों संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। इन बांग्लादेशी आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। उनसे एक फोन, जिसमें कई तरह की फोटो, वीडियो, जिहादी टेक्स्ट, जिहाद से जुड़ी किताबें भी मिलीं। मोहम्मद जियाउर रहमान, ममूर राशिद जो कि बांग्लादेशी नागरिक हैं उन्हें भी देर रात को ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए की पहचान मोहम्मद जिआउर रहमान उर्फ मोहसिन उर्फ जाहिर अब्बास (नवाबगंज, बांग्लादेश) तथा मोमुनर राशिद 33 साल (रंगपुर, बांग्लादेश) के रुप में हुई है। इसके अलावा उनके ही दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें हावड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, उनके पास इस्लामिक लिटरेचर भी मौजूद था।

तीनों गिरफ्तार बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली हुई थी और यहां पर भी अपने संगठन को बढ़ा रहे थे। जबकि जो भारतीय गिरफ्तार किया गया है, वह उनके मंसूबों को कामयाब कर रहा था। इसके लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर अपना एजेंडा फैला रहे थे, इसके तहत डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और ऑडियो वायरल हो गए थे। बता दें कि इससे पहले भी बंगाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें अधिकतर मामले बीरभूम से ही सामने आए थे।

दुर्घटना में भारतीय इमाम की नाबालिग बेटी की मौत

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात में एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क पर कई बार पलट गई जिससे उसमें सवार एक भारतीय इमाम की नाबालिग बेटी की मौत हो गई। कार में लड़की के परिजन भी सवार थे। मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना 14 जून को रास अल खैमाह में घटी।

पुलिस सूत्रों ने कहा, बच्ची जुल्फा का पिता कार चला रहा था, जब कार अचानक कई बार पलट गई, जिसमें बच्ची को चोटें आईं। बच्ची का पिता रास अल खैमाह में इमाम का काम करता है। मेडिकल सूत्रों के अनुसार, जुल्फा और उसके परिजनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 22 जून को बच्ची की मौत हो गई।

दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा हाल ही में स्थापित मेडिकल समिति से संबद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद श्रीधरन ने खलीज टाइम्स को बताया, बच्ची के सर पर चोट लगी थी जिससे उसके दिमाग को प्रभावित किया था। वह एक सप्ताह तक आईसीयू में रही।

ईरान के खिलाफ आक्रमण के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं: ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए उन्हें कांग्रेस (संसद) की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प ने द हिल अखबार को दिये साक्षात्कार में कहा कि उन्हें कांग्रेस की अनुमति लिये बिना ईरान पर आक्रमण करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, हम कांग्रेस को हमेशा जानकारी देते रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें यह कानूनी रूप से नहीं करना है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेताओं ने मांग की है कि ईरान या अन्य किसी देश के खिलाफ किसी आक्रमण से पहले ट्रम्प को कांग्रेस से अनुमत लें।

अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना और होगी जेल!

» ओला, उबर की भी खैर नहीं

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर व्हीकल बिल में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब सड़क दुर्घटना और नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल रूप से और सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में आरटीओ दफ्तरों में एजेंटों की कमीशनखोरी खत्म करने के लिए बिल में संशोधन किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार कैबिनेट से मंजूर बिल को मौजूदा बजट सत्र में पेश कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं. किशोर नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं. इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है.

नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक/अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा.

ठेले पर सो रहे बुजुर्ग पर बिल्डिंग से गिरा 90 किलो वजनी शख्स, हुई मौत

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां एक ठेले पर सो रहे बुजुर्ग पर एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से 90 किलो का व्यक्ति गिरा जिस कारण ठेले पर सो रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। यह घटना राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके की है।

जानकारी के अनुसार सराय रोहिल्ला इलाके में 60 साल का एक व्यक्ति अपना काम खत्म करके अपने ठेला पर आराम कर रहा था। उससे सटे बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर से एक आदमी सीधे ठेले पर सो रहे व्यक्ति पर गिर गया। इस घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई लेकिन ऊपर से गिरे आदमी को सिर्फ आंख के आसपास हल्की चोट आई। यह घटना शनिवार रात की है।

थर्ड फ्लोर से नीचे गिरने वाले व्यक्ति का नाम रवींद्र है। उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त वो फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान गलती से टेरेस (छज्जा) से नीचे गिर गए। 90 किलो वजनी रवींद्र थर्ड फ्लोर से सीधे पीड़ित मदन लाल के ऊपर गिर पड़े। मृतक मदन लाल के ऑटोप्सी रिपोर्ट (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट) में सामने आया कि उनका रिब केज टूट गया था। साथ ही शरीर के कई अंदरुनी अंगों पर भी इसका असर पड़ा था। लोगों को लगा, दीवार का हिस्सा गिरा है।

यूरोपीय देशों का ईरान-अमेरिका से बातचीत का आग्रह

संयुक्त राष्ट्र। फ्रांस ,जर्मनी और ब्रिटेन ने खाड़ी में गहराते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिका और ईरान से शांति बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया है।

तीनों यूरोपीय देशों ने ईरान मुद्दे पर सोमवार को सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुयी बैठक के बाद एक बयान जारी करके कहा,हम ईरान द्वारा गुरुवार को एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराये जाने के बाद खाड़ी में और बढ़ते तनाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। तनाव के चरम पर पहुंचने के बाद स्थिति विस्फोटक हो सकती है। हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बातचीत के लिए आगे आयें।

तीनों देशों ने ओमान की खाड़ी में हाल ही में तेल टैंकरों पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह हमला समुद्री क्षेत्र में परिवहन की आजादी के अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके उल्लंघन से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। यह हमला पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में आग में घी की तरह है।